सन २००९-१० या वित्तीय वर्षासाठी मुख्य लेखाशीर्ष
मागणी क्र. टी-५, २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन
या लेखाशिर्षाखालील पुनर्विनियोजन.

**महाराष्ट्र शासन**
**आदिवासी विकास विभाग**
**शासन निर्णय क्र.बीयुडी २०१०/प्र क्र.१०६/का.६**
**मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२**
**दिनांक : ३० मार्च,२०१०.**

वाचा : मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), धुळे कार्यालयाचे जा.क्र.कक्ष-२/यो/प्र.क्र.३४-२/०३-०४/१४३२/९-१०, दिनांक २०.३.२०१० चा प्रस्ताव

**शासन निर्णय :-** या निर्णयान्वये मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.टी-५, २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन या खालील सन २००९-१० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदींचे सोबतच्या विवरणपत्र-अ प्रमाणे पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदीपेक्षा त्या त्या शीर्षाखाली जादा खर्च होणार नाही याची काळजी नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. या रक्कमा खर्च करताना या विभागाच्या तसेच वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.

३. सदर तरतूद प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत असून त्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. **२०१००३३०२३५५३२००१** असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

**( श. र. सावंत )**
**कार्यासन अधिकारी**

प्रति,
मा.मंत्री (आ.वि) यांचे स्वीय सहाय्यक
मा.राज्यमंत्री (आ.वि) यांचे स्वीय सहाय्यक
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), धुळे
आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास,
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
महालेखापाल, महाराष्ट्र १-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
निवडनस्ती (का.६)

विवरणपत्र-अ

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी 2010/प्र.क्र.106/का.6, दि.30 मार्च,2010.अन्वये सन 2009-10 मधील खर्च भागविण्यासाठी पुनर्विनियोजन रक्कमा दर्शविणारे विवरणपत्र

(रु.हजारात)

| अ.क्र. | प्रधान शीर्ष/गौण शीर्ष/उपशीर्ष | दि.31.3.2010 पर्यन्तचा अपेक्षित खर्च | सन 2009-10 करिता अर्थसंकल्पीय तरतूद | पुनर्विनियोजनासाठी ची प्रस्तावित रक्कम | पुनर्विनियोजन नंतरची रक्कम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **मुख्य लेखाशीर्ष 2406, वनीकरण व वन्यजीवन** | | | | |
| | **(अ) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदानासह पुनर्विनियोजनाद्वारे जादा रक्कमा प्रस्तावित केल्या आहेत अशा बाबी** | | | | |
| | **योजनांतर्गत** | | | | |
| 1 | (01) (03) एकत्रित जंगल विकास कार्यक्रम (2406 2081)- 02 मजूरी | 45687 | 24916 | 20771 | **45687** |
| | **एकूण** | **45687** | **24916** | **20771** | **45687** |
| | **(ब) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदानासह पुनर्विनियोजनाद्वारे कमी रक्कमा प्रस्तावित केल्या आहेत अशा बाबी** | | | | |
| | **योजनांतर्गत** | | | | |
| 1 | (02) (06) आरोग्य संस्थांची स्थापना/परिरक्षण/बांधकामे (2210 4938) 31-सहायक अनुदान (वेतनेतर) | 39881 | 60652 | 20771 | **39881** |
| | **एकूण** | **39881** | **60652** | **20771** | **39881** |

श.र.सावंत 30/3/10

(श. र. सावंत)

कार्यासन अधिकारी